RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
फरवरी
15
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

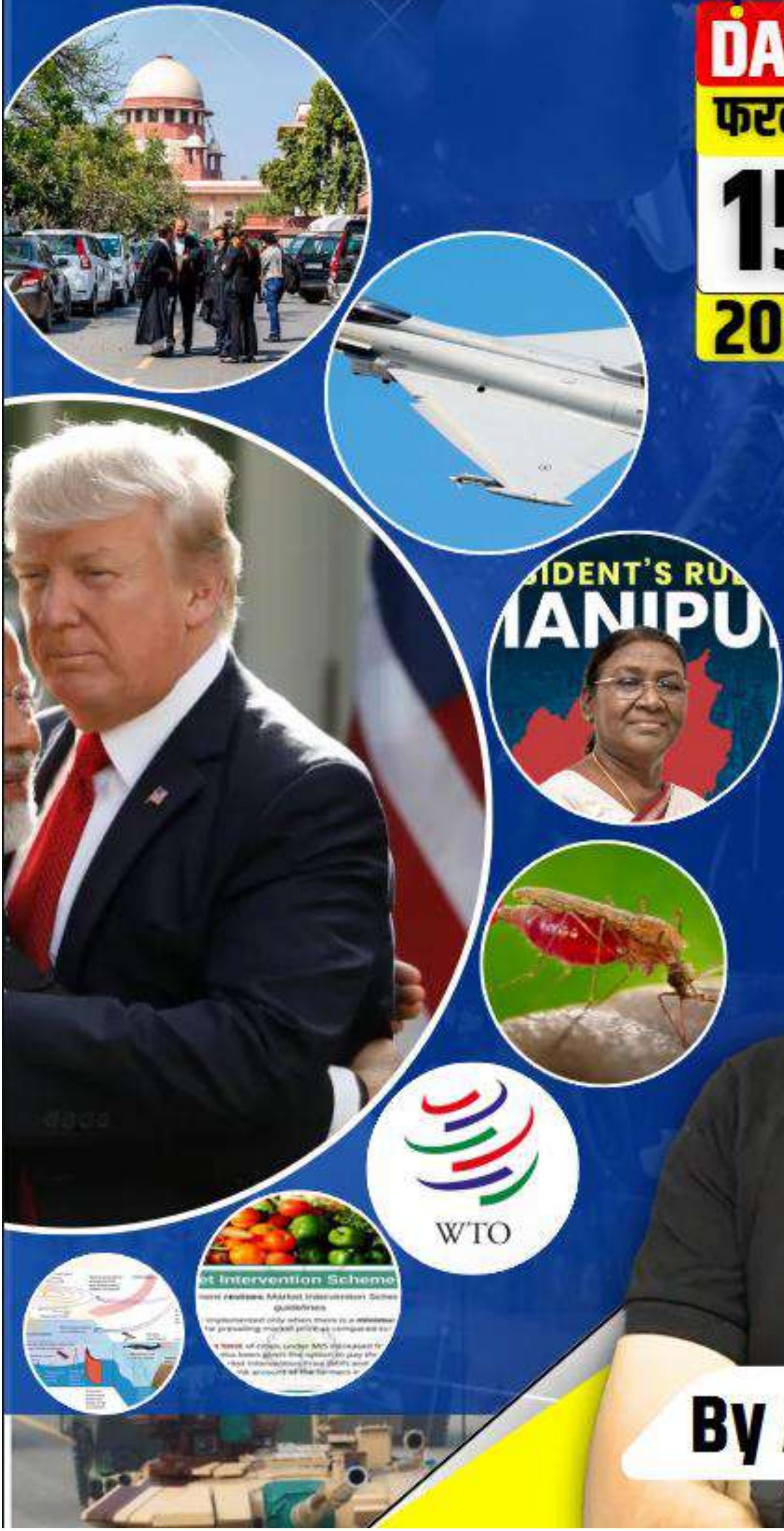

By Ankit Avasthi Sir

मोदी-ट्रंप बैठक / Modi-Trump meeting

संदर्भ:

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन डीसी में **अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप** से मुलाकात की। यह पीएम मोदी की ट्रंप के **दूसरे कार्यकाल में उनकी पहली बैठक** है।

- संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के प्रसिद्ध नारे **'Make America Great Again' (MAGA)** से प्रेरित होकर **'Make India Great Again' (MIGA)** की अवधारणा पेश की।

मोदी-ट्रंप बैठक: प्रमुख निष्कर्ष:

1. व्यापार और ऊर्जा सहयोग:

- भारत अमेरिकी **कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस** के आयात में वृद्धि करेगा ताकि द्विपक्षीय व्यापार घाटे को कम किया जा सके।
- भारत के अमेरिकी ऊर्जा खरीद सौदे **$15 बिलियन से बढ़कर $25 बिलियन सालाना** तक हो सकते हैं।
- भारत अपने कच्चे तेल के स्रोतों में विविधता ला रहा है, जिसमें अमेरिका प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनेगा।
- **मिशन 500:** 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

2. रक्षा सहयोग:

- भारत को **F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमानों** की आपूर्ति की योजना।
- अमेरिका-भारत सैन्य बिक्री में कई अरब डॉलर की वृद्धि होगी।
- F-35 को **बेंगलुरु के एयरो इंडिया शो** में प्रदर्शित किया गया।

3. अवैध प्रवासियों पर सहमति:

- भारत ने **अवैध** रूप से अमेरिका में रह रहे **भारतीय नागरिकों को वापस लेने पर सहमति** जताई।

4. व्यापार और शुल्क (टैरिफ) वार्ता:

- अमेरिका ने **"रिसिप्रोकल टैरिफ"** लागू करने की बात कही, जिससे भारत पर दबाव बढ़ा।
- भारत अमेरिकी सामानों पर **टैरिफ कम** कर सकता है और ऊर्जा व रक्षा उपकरणों की खरीद बढ़ाएगा।
- भारत ने अमेरिकी मोटरसाइकिलों पर **100% शुल्क का मुद्दा** सुलझाने के संकेत दिए।

5. भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC):

- मोदी-ट्रंप ने **IMEC** को ऐतिहासिक व्यापार मार्ग करार दिया।
- यह चीन के **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** का जवाब होगा।
- IMEC भारत, इज़राइल, इटली और अमेरिका को रेल, बंदरगाह और अंडरसी केबल नेटवर्क से जोड़ेगा।

6. नागरिक परमाणु समझौता:

- भारत-अमेरिका **123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट** को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए।
- भारत में अमेरिकी डिज़ाइन वाले **परमाणु रिएक्टर स्थापित** करने पर चर्चा।
- भारत **एटोमिक एनर्जी एक्ट और CLNDA (नागरिक परमाणु दायित्व अधिनियम)** में संशोधन करेगा।

7. ताहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण:

- भारत ने **मुंबई हमलों के आरोपी ताहव्वुर राणा** के प्रत्यर्पण पर अमेरिका के साथ चर्चा की।
- राणा को पहले ही अमेरिकी अदालत ने आतंकवाद से जुड़े आरोपों में दोषी ठहराया था।

8. इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई:

- भारत और अमेरिका ने इस्लामिक आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त रणनीति तैयार करने पर सहमति जताई।

निष्कर्ष: मोदी-ट्रंप बैठक में **व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, आतंकवाद विरोधी** सहयोग और रणनीतिक गठबंधन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यह बैठक भारत-अमेरिका संबंधों को **नए आयाम** देने और **वैश्विक शक्ति संतुलन** में भारत की भूमिका को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई।

F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट / F-35 Stealth Fighter Jet

संदर्भ:

प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को **F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट** देने की घोषणा की। द्विपक्षीय बैठक में रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया और अमेरिका ने भारत को कई अरब डॉलर के सैन्य उपकरण बेचने की योजना भी साझा की।

F-35 लड़ाकू विमान:

- **निर्माता:** लॉकहीड मार्टिन (Lockheed Martin), अमेरिका।
- **प्रकार: सिंगल-सीट, सिंगल-इंजन, ऑल-वेदर स्टील्थ मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट।**
  - **पांचवीं पीढ़ी** का सबसे उन्नत स्टील्थ लड़ाकू विमान।
- **भूमिका:**
  - एयर सुपीरियॉरिटी (वायु प्रभुत्व) और स्ट्राइक मिशन।
  - इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (Electronic Warfare)।
  - खुफिया, निगरानी और टोही (ISR) क्षमताएँ।

F-35 की प्रमुख विशेषताएँ:

1. स्टील्थ तकनीक (Stealth Technology):

- यह विमान उन्नत स्टील्थ तकनीक से लैस है, जिससे यह रडार पर मुश्किल से पकड़ में आता है।
- यह दुश्मन के रक्षा तंत्र को भ्रमित करने में सक्षम है।

2. आधुनिक एवियोनिक्स (Modern Avionics):

- उन्नत संचार और निगरानी प्रणाली से लैस, जो पायलट को युद्ध में त्वरित और बेहतर निर्णय लेने में सहायता करती है।

3. अत्याधुनिक हथियार प्रणाली (Advanced Weapon Systems):

- विभिन्न प्रकार के बम और मिसाइलों को ले जाने और सटीकता से लक्ष्य भेदने की क्षमता।

4. कनेक्टिविटी और नेटवर्क क्षमता (Connectivity & Network-Based Warfare):

- नेटवर्क-आधारित युद्ध रणनीतियों को बढ़ावा देने में सक्षम।
- तेज़ी से डेटा साझा कर अन्य विमानों और ग्राउंड कंट्रोल के साथ समन्वय कर सकता है।

5. उपयोगकर्ता देश (List of User Countries):

- संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
- इज़राइल
- यूनाइटेड किंगडम (UK)
- जापान
- दक्षिण कोरिया
- ऑस्ट्रेलिया

F-35 लड़ाकू विमान की शक्ति और क्षमताएँ:

इंजन:

- F-35 में एकल F135 इंजन का उपयोग किया गया है, जो 40,000 पाउंड तक का थ्रस्ट उत्पन्न करता है।
- यह विमान मैक 1.6 (1,200 मील प्रति घंटे) की गति तक पहुँच सकता है।

हथियार क्षमता:

- F-35 की हथियार वहन क्षमता 6,000 किग्रा से 8,100 किग्रा तक है।
- इसका मतलब है कि यह भारी हथियार ले जाने में सक्षम है, बिना अपनी स्टील्थ विशेषता से समझौता किए।

F-35 लड़ाकू विमान की लागत:

प्रति विमान लागत:

- **F-35A (मानक संस्करण):** लगभग **$80 मिलियन**
- **F-35B (शॉर्ट टेकऑफ़/वर्टिकल लैंडिंग - STOVL):** लगभग **$115 मिलियन**
- **F-35C (एयरक्राफ्ट कैरियर संस्करण):** लगभग **$110 मिलियन**

निष्कर्ष:

F-35 आधुनिक वायु युद्ध की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है – इसमें **एडवांस स्टील्थ तकनीक, बेहतरीन स्थितिजन्य जागरूकता (Situational Awareness) और नेटवर्क-आधारित युद्ध क्षमताएँ** शामिल हैं।

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन / President's rule in Manipur

संदर्भ:

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद शासन व्यवस्था में विफलता के कारण **अनुच्छेद 356** के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन:

घोषणा:

- भारत के राष्ट्रपति ने **अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन** लागू किया।
- यह निर्णय **राज्यपाल की रिपोर्ट** प्राप्त होने के बाद लिया गया।

कारण: राष्ट्रपति इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है।

संसदीय स्वीकृति:

- **अनुच्छेद 356(3)** के अनुसार, यह घोषणा संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाएगी।
- यदि दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित नहीं की गई, तो यह अधिकतम दो महीने के भीतर समाप्त हो जाएगी।

राष्ट्रपति शासन (President's Rule):

परिभाषा:

- जब कोई राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ होती है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है।
- इस दौरान राज्य सरकार को निलंबित कर दिया जाता है और केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाता है।

संवैधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है।**
- इसे **"राज्य आपातकाल" या "संवैधानिक आपातकाल"** भी कहा जाता है।

राष्ट्रपति शासन लगाने के कारण:

- राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य विश्वसनीय जानकारी के आधार पर राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही है।
- यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है।

राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया:

1. **राज्यपाल की रिपोर्ट: राज्यपाल राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजते हैं**, जिसमें बताया जाता है कि **राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल हो गई है।**
2. **राष्ट्रपति की घोषणा:** राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य विश्वसनीय जानकारी के आधार पर, राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित करते हैं।
3. **संसदीय स्वीकृति: दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) को दो महीने के भीतर इस घोषणा को साधारण बहुमत से मंजूरी देनी होती है।**

अवधि और विस्तार:

- शुरुआत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जाता है।
- इसे अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने में संसद की मंजूरी आवश्यक होती है।
- राष्ट्रपति कभी भी संसद की स्वीकृति के बिना राष्ट्रपति शासन समाप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रपति शासन के प्रभाव:

1. **राज्य सरकार के कार्यभार पर नियंत्रण:** राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी कार्यों और राज्यपाल की शक्तियों को अपने अधीन ले लेते हैं।
2. **विधानमंडल की शक्तियों का हस्तांतरण:** राज्य विधानसभा की शक्तियाँ संसद को सौंप दी जाती हैं, जिससे संसद राज्य से संबंधित कानून बना सकती है।
3. **न्यायपालिका पर कोई प्रभाव नहीं:**
   - राष्ट्रपति शासन का उच्च न्यायालय (High Court) के कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
   - न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती रहती है।

S. R. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) मामला:

न्यायिक समीक्षा (Judicial Review): सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी।

राज्य विधानसभा का विघटन:

- राष्ट्रपति केवल संसद की मंजूरी के बाद ही राज्य विधानसभा को भंग कर सकते हैं।
- संसदीय स्वीकृति से पहले, विधानसभा केवल निलंबित (suspended) रहेगी, लेकिन भंग (dissolved) **नहीं की जा सकती।**

मलेरिया / Malaria

संदर्भ:

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने आधिकारिक रूप से जॉर्जिया को **मलेरिया मुक्त** घोषित किया है। वैश्विक स्तर पर दशकों की कोशिशों के बावजूद, मलेरिया हर साल **240 मिलियन से अधिक मामले** और **6 लाख से ज्यादा मौतों** का कारण बनता है।

मलेरिया:

- **कारण:**
  - मलेरिया **Plasmodium परजीवी** के कारण होता है, जो संक्रमित **मादा एनोफिलीज़ (Anopheles) मच्छर** के काटने से फैलता है।
  - **5 प्रकार के प्लाज्मोडियम परजीवी मानव को संक्रमित कर सकते हैं, जिनमें P. falciparum और P. vivax सबसे घातक हैं।**
- **प्रसार क्षेत्र:**
  - मलेरिया मुख्य रूप से **अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया** के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है।
- **संक्रमण प्रक्रिया:**
  - संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद मच्छर मलेरिया परजीवी को ग्रहण करता है।
  - जब वही मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो परजीवी रक्तप्रवाह के माध्यम से यकृत (liver) में प्रवेश करता है।
  - यकृत में परजीवी परिपक्व होकर लाल रक्त कोशिकाओं (RBCs) को संक्रमित करता है।
- **लक्षण:** तेज़ बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान।
- **निवारण और उपचार:**
  - मलेरिया एक रोके जाने योग्य और इलाज योग्य रोग है।
  - रोकथाम के लिए मच्छर नियंत्रण, मच्छरदानी और एंटी-मलेरिया दवाओं का उपयोग किया जाता है।

विश्व मलेरिया दिवस (World Malaria Day):

- **तिथि:** हर वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है।
- **उद्देश्य:**
  - मलेरिया उन्मूलन के लिए वैश्विक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना।
  - मलेरिया से होने वाली पीड़ा और मृत्यु दर को कम करने के लिए जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ावा देना।
  - देशों को मलेरिया उन्मूलन के लिए प्रेरित करना और स्वास्थ्य एवं आजीविका में सुधार करना।

वैश्विक परिदृश्य (Global Scenario):

- **विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 के अनुसार** 2023 में वैश्विक स्तर पर **263 मिलियन (26.3 करोड़)** मलेरिया के मामले दर्ज किए गए, जो 2022 की तुलना में **11 मिलियन** अधिक हैं।
- मलेरिया से **वैश्विक मृत्यु दर 597,000** रही, जो 2020 के **622,000 मौतों से** कम है।
- WHO अफ्रीकी क्षेत्र (African Region) ने 2023 में 94% वैश्विक मलेरिया मामले और 95% मौतें दर्ज कीं।
- **पांच देशों में कुल वैश्विक मलेरिया मामलों का 52% देखा गया:**
  - **नाइजीरिया (26%)कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य , युगांडा (5%), इथियोपिया (4%), मोज़ाम्बिक (4%)**
- 2015 से अब तक 9 देश मलेरिया मुक्त घोषित किए गए, जिनमें 2024 में मिस्र भी शामिल है।

भारत में मलेरिया नियंत्रण की उपलब्धियाँ

स्वतंत्रता के समय:

- भारत में प्रति वर्ष **7.5 करोड़ मलेरिया** मामले और **8 लाख मौतें** होती थीं।
- यह देश के लिए एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती थी।

निरंतर प्रयासों से:

- मलेरिया मामलों में 97% की कमी आई, जो अब घटकर 20 लाख वार्षिक रह गए हैं।
- मलेरिया से मौतों की संख्या 2023 तक केवल 83 रह गई।

2017-2024 की प्रमुख उपलब्धियाँ

- 2015 में मलेरिया मामले 11,69,261 थे, जो 2023 में घटकर 2,27,564 रह गए – 80% की कमी।
- मलेरिया से मौतों की संख्या 2015 में 384 थी, जो 2023 में घटकर 83 रह गई।
- "वार्षिक रक्त परीक्षण दर" (Annual Blood Examination Rate) 2015 में 9.58 से बढ़कर 2023 में 11.62 हो गई, जिससे शीघ्र पहचान और रोकथाम में मदद मिली।

विश्व व्यापार संगठन / World Trade Organization

संदर्भ:

भारतीय किसानों के एक वर्ग की लगातार मांग है कि भारत **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** से बाहर निकल जाए। उनका मानना है कि **WTO के नियम न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** को कानूनी गारंटी देने में बाधा बनते हैं। WTO के **कृषि समझौते (AoA)** के तहत **MSP को व्यापार विकृत करने वाली सब्सिडी** माना जाता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और WTO नियमों से जुड़े मुद्दे:

1. WTO के खिलाफ भारतीय किसानों की नाराजगी

- भारतीय किसान चाहते हैं कि **भारत WTO से बाहर निकले**, क्योंकि **WTO के नियम MSP को सीमित करते हैं।**
- WTO का Agreement on Agriculture (AoA) MSP को **"व्यापार-विकृत करने वाली सब्सिडी"** मानता है, जिससे सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली सहायता सीमित हो जाती है।

2. WTO का पुराना मूल्यांकन तंत्र (Outdated ERP):

- **WTO 1986-88 के** बाहरी संदर्भ मूल्य (External Reference Price - ERP) का उपयोग करता है MSP की गणना के लिए।
- **महंगाई के कारण MSP और ERP के बीच अंतर बढ़ गया है**, जिससे WTO के अनुसार भारत की सब्सिडी अधिक लगती है।
- भारत कई वर्षों से ERP संशोधन की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली।

3. वर्तमान नीति में लचीलापन (Policy Leeway):

- WTO का **"पीस क्लॉज" (Peace Clause) भारत को गेंहू और चावल जैसी फसलों के लिए ऊँचा MSP** प्रदान करने की अनुमति देता है, लेकिन यह अस्थायी उपाय है।

4. वैकल्पिक सहायता योजनाएँ:

- **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना** के तहत किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की सीधी सहायता दी जाती है, जो WTO नियमों का उल्लंघन नहीं करती।

प्रभाव:

1. निर्यात लाभों की हानि (Loss of Export Benefits)

- भारत **WTO के तहत "सबसे अनुकूल राष्ट्र" (Most-Favoured-Nation - MFN) और राष्ट्रीय उपचार (National Treatment)** का लाभ उठाता है।
- WTO छोड़ने से भारतीय उत्पादों पर ऊँचे टैरिफ लग सकते हैं, जिससे वे वैश्विक बाजार में कम प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे।

2. अधिक व्यापार समझौतों की आवश्यकता (More Trade Agreements Needed)

- भारत को **अलग-अलग देशों के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) करने पड़ेंगे।**
- **FTAs की शर्तें आमतौर पर सख्त होती हैं,** खासकर जब विकासशील देश विकसित देशों से बातचीत करते हैं।

3. व्यापार विवाद समाधान में कठिनाई (Weaker Trade Dispute Protection)

- WTO **व्यापार विवादों के समाधान के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करता है।**
- WTO छोड़ने से भारत को **वैश्विक व्यापार विवादों में कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा**, जिससे व्यापारिक अस्थिरता बढ़ सकती है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO):

उत्पत्ति और स्थापना:

- **1995 में स्थापित हुआ।**
- **यह GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) का उत्तराधिकारी है**, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यापार विनियमन के लिए बनाया गया था।

उद्देश्य: वैश्विक व्यापार को सुचारू, स्वतंत्र और पूर्वानुमानित (Predictable) बनाना।

सदस्यता और मुख्यालय:

- **WTO के 164 सदस्य देश हैं, जो विश्व व्यापार के 98% का प्रतिनिधित्व करते हैं।**
- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड।

गैर-भेदभाव के सिद्धांत (Non-Discrimination Principles):

1. **Most-Favoured Nation (MFN):** WTO सदस्य देश एक-दूसरे को व्यापार में समान अवसर प्रदान करेंगे।
2. **National Treatment:** किसी भी देश को अपने घरेलू उत्पादों और विदेशी उत्पादों के साथ समान व्यवहार करना होगा।

पारस्परिक टैरिफ / Reciprocal Tariffs

संदर्भ:

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने **अमेरिका में आयात होने वाले उत्पादों पर उच्च शुल्क** लगाते हुए **पारस्परिक टैरिफ (Reciprocal Tariffs)** लागू करने की घोषणा की।

टैरिफ (Tariff) क्या है?

- **टैरिफ एक कर (Tax) है जो आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है।**
- सरकारें राजस्व बढ़ाने, घरेलू उद्योगों की रक्षा करने या व्यापारिक भागीदारों को प्रभावित करने के लिए टैरिफ लगाती हैं।

रिसिप्रोकल टैरिफ (Reciprocal Tariff):

- रिसिप्रोकल टैरिफ एक प्रकार का व्यापारिक कर है जिसमें एक देश **दूसरे देश के टैरिफ के जवाब में समान टैरिफ (Import Duty)** लगाता है।

कैसे काम करता है?

- यदि देश A अपने उत्पादों पर देश B द्वारा लगाए गए ऊँचे टैरिफ से असंतुष्ट है, तो वह देश B से आने वाले उत्पादों पर समान दर से टैरिफ लागू कर सकता है।
- इसका उद्देश्य व्यापार में संतुलन लाना और घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना होता है।

रिसिप्रोकल टैरिफ लगाने के कारण:

- व्यापार असंतुलन को ठीक करना।
- घरेलू उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करना।
- अन्य देशों पर अपने टैरिफ कम करने का दबाव बनाना।
- निष्पक्ष और पारस्परिक व्यापार (Fair and Balanced Trade) सुनिश्चित करना।

भारत-अमेरिका व्यापार संतुलन (2024):

- **अमेरिका** ने **2024 में भारत से $87.4 बिलियन** मूल्य का **आयात** किया।
- **अमेरिका ने भारत** को **$45.6 बिलियन मूल्य का निर्यात** किया।
- इससे अमेरिका को **भारत के साथ $45.6 बिलियन का व्यापार घाटा** हुआ।

Major products Exports from USA to India

1. Aircraft and Aerospace Equipment
2. Plastics
3. Medical Equipment and Pharmaceuticals
4. Defence and Security Equipment
5. Oil and Petroleum Products
6. Engineering Machinery and Equipment
7. Automobiles and Automotive Parts
8. Chemicals and Fertilizers
9. Renewable Energy Technologies
10. Leather Products

Major Indian Export Products to USA

1. Diamonds
2. Medical Equipment and Accessories
3. Jewellery
4. Agricultural Products
5. Refined
6. Petroleum
7. Rice
8. Textiles and Apparel
9. Automotive Components

भारत पर रिसिप्रोकल टैरिफ के संभावित प्रभाव:

1. उच्च टैरिफ का जोखिम:

- भारत की औसत प्रभावी टैरिफ दर अमेरिका के लिए 9.5% है, जबकि अमेरिका भारत के निर्यात पर केवल 3% टैरिफ लगाता है।
- यदि अमेरिका रिसिप्रोकल टैरिफ नीति अपनाता है, तो भारत पर प्रतिशोधी (Retaliatory) टैरिफ का खतरा बढ़ जाएगा।

2. कमजोर उद्योगों पर असर:

- ऑटोमोबाइल, वस्त्र (Textile) और अन्य उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- यदि भारत अमेरिकी ऑटोमोबाइल पर 25% टैरिफ लगाता है, तो अमेरिका भी भारतीय ऑटोमोबाइल पर 25% टैरिफ लगा सकता है।
- इससे भारतीय उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता घट सकती है।

3. व्यापक असर (Wider Impact):

- अगर अमेरिका इस नीति को लागू करता है, तो अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं (Emerging Economies) पर भी उच्च टैरिफ का दबाव बनेगा।
- इससे वैश्विक व्यापार महँगा हो सकता है और भारत जैसे देशों के निर्यात पर असर पड़ सकता है।

चीन की बांध परियोजना, भारत के लिए चिंता / China's dam project raises concerns for India

संदर्भ:

तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी (**यारलुंग त्सांगपो**) पर **दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोपावर डैम** के निर्माण की चीन की योजना ने निचले प्रवाह वाले देशों, खासकर **भारत और बांग्लादेश**, में गंभीर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

चीन की मेगा-डैम परियोजना:

1. परियोजना की मुख्य विशेषताएँ:

- **क्षमता: 60 GW** (चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना, 2021-2025)
  - यह **तीन गॉर्ज डैम (Three Gorges Dam)** की तुलना में **तीन गुना अधिक शक्तिशाली** होगी।
- **लक्ष्य:**
  - जैविक ईंधन (Fossil Fuels) पर निर्भरता कम करना।
  - 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य।
- **लागत:** लगभग $137 बिलियन।
- **स्थान: "ग्रेट बेंड" (Great Bend)**, जहां ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मेडोग (Medog) क्षेत्र में एक बड़ा मोड़ लेती है।
- **पूर्व में निर्मित प्रमुख बाँध:**
  - **थ्री गॉर्ज डैम (Yangtze River)**
  - **ज़ंगमु डैम (Yarlung Zangbo River)**

2. यारलुंग त्सांगपो (Zangbo) नदी और भारत-बांग्लादेश पर प्रभाव:

- तिब्बत से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर इसे "Siang" कहा जाता है।
- असम में, दिबांग (Dibang) और लोहित (Lohit) नदियों से मिलने के बाद "ब्रह्मपुत्र" कहलाती है।
- इसके बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
- हालांकि, यह नदी भूटान से नहीं गुजरती, लेकिन भूटान का 96% क्षेत्र इसके जलग्रहण क्षेत्र में आता है।

3. संभावित भू-राजनीतिक प्रभाव:

- चीन का यह डैम भारत और बांग्लादेश के लिए जल प्रवाह को बाधित कर सकता है।
- सूखे के मौसम में जल रोककर और मानसून में अचानक पानी छोड़कर बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है।
- भारत को जल कूटनीति, वैकल्पिक जल स्रोतों और बहुपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से समाधान तलाशने की आवश्यकता है।

चीन द्वारा जल संसाधनों का रणनीतिक उपयोग:

- चीन अपने पड़ोसी देशों पर दबाव बनाने के लिए सीमापार नदियों (Transboundary Rivers) का उपयोग एक भू-राजनीतिक उपकरण के रूप में करता रहा है।
- 2017 डोकलाम गतिरोध के दौरान, चीन ने भारत को जल प्रवाह से जुड़ा हाइड्रोलॉजिकल डेटा देना बंद कर दिया था।
- चीन यदि ब्रह्मपुत्र के प्रवाह को नियंत्रित करता है, तो वह इसे भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है।

कानूनी और कूटनीतिक चुनौतियाँ:

कानूनी ढांचे की कमी (Lack of Legal Framework):

- 1997 UN Watercourses Convention जल के न्यायसंगत उपयोग, सहयोग और हानि रोकथाम पर ज़ोर देता है, लेकिन भारत और चीन दोनों इसके हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं।
- इससे कोई कानूनी बाध्यता नहीं बनती, जिससे चीन को पानी के नियंत्रण में एकतरफा निर्णय लेने की छूट मिलती है।

चीन की जल नीतियाँ (China's Water Policies):

- चीन सिद्धांततः निष्पक्ष जल-वितरण की बात करता है, लेकिन निचले तटीय देशों (Lower Riparian States), विशेष रूप से भारत, पर जल संसाधनों का दबाव बनाने का आरोप लगाया जाता है।

समाप्त हुए समझौते (Expired Agreements):

- भारत और चीन के बीच ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों के जल डेटा साझा करने पर किए गए समझौते (MoUs) समाप्त हो चुके हैं।
- इससे जल प्रबंधन को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है।

विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र (Expert Level Mechanism - ELM):

- भारत और चीन के बीच जल वार्ता का एकमात्र मंच है।
- लेकिन, यह कोई बाध्यकारी (Binding) समझौता नहीं है, जिससे चीन पर कोई कानूनी दायित्व नहीं बनता।

राजनीतिक तनाव और क्षेत्रीय असहमति (Political Tensions & Regional Disputes):

- बांग्लादेश ने चीन के इस डैम पर कोई कड़ा विरोध नहीं जताया है, क्योंकि उसके चीन के साथ संबंध मजबूत हो रहे हैं।
- भारत-बांग्लादेश संबंधों में गिरावट आई, खासकर अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद।
- नेपाल, भूटान और पाकिस्तान जैसे अन्य निचले तटीय देशों पर भी प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन क्षेत्रीय जल सहयोग की स्थिति कमजोर है।

मसौदा अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025 / Draft Advocates (Amendment) Bill, 2025

संदर्भ:

भारत सरकार ने **वकील अधिनियम, 1961** में संशोधन के लिए **वकील (संशोधन) विधेयक, 2025** के मसौदे पर **सार्वजनिक परामर्श** शुरू किया है।

प्रस्तावित कानूनी सुधारों की प्रमुख विशेषताएँ:

विधि फर्मों का विनियमन (BCI की भूमिका):

- भारतीय बार काउंसिल (BCI) अब एक से अधिक राज्यों में काम करने वाली विधि फर्मों को नियंत्रित करेगी।
- यदि BCI के नियम केंद्र सरकार की नीतियों के अनुरूप नहीं हैं, तो सरकार उन्हें निरस्त कर सकती है।

विदेशी विधि फर्मों के लिए रूपरेखा:

- इस संशोधन के तहत विदेशी विधि फर्मों को भारत में काम करने की अनुमति देने के लिए एक नियामक ढांचा तैयार किया जाएगा।

BCI में केंद्र सरकार के सदस्यों की नियुक्ति:

- केंद्र सरकार को BCI में तीन सदस्यों को नामांकित करने की शक्ति दी गई है।
- महान्यायवादी (Attorney General) और सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General) जैसे मौजूदा सदस्य बने रहेंगे।
- अनुच्छेद 49B के तहत केंद्र सरकार BCI को कानून के प्रावधानों को लागू करने के निर्देश दे सकती है।

हड़ताल और बहिष्कार पर प्रतिबंध:

- अनुच्छेद 35A के तहत वकीलों को हड़ताल या बहिष्कार करने से रोका गया है, यदि इससे न्यायालय का कार्य बाधित होता है।
- प्रतीकात्मक या एक दिन की हड़ताल की अनुमति होगी, बशर्ते कि इससे ग्राहकों के अधिकार प्रभावित न हों।

बार काउंसिल पंजीकरण का स्थानांतरण:

- वकीलों को एक राज्य से दूसरे राज्य में अपना पंजीकरण स्थानांतरित करने के लिए शुल्क देना होगा और BCI से अनुमोदन लेना होगा।

गंभीर अपराधों के दोषी वकीलों को हटाने का प्रावधान:

- यदि कोई वकील तीन या अधिक वर्षों की सजा वाले अपराध में दोषी ठहराया जाता है, तो उसका नाम राज्य की सूची से हटा दिया जाएगा।
- हालांकि, यह केवल तभी लागू होगा जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा की पुष्टि की गई हो।

परिभाषाओं का विस्तार:

- "विधि स्नातक (Law Graduate)" की परिभाषा में BCI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से बैचलर ऑफ लॉ (LLB) प्राप्त करने वाले छात्र शामिल किए गए हैं।
- "कानूनी पेशेवर (Legal Practitioner)" की परिभाषा में कॉर्पोरेट वकील और विदेशी विधि फर्मों में कार्यरत वकील भी शामिल होंगे।

गैर-अधिवक्ता द्वारा कानून का अभ्यास करने पर कड़ी सजा:

- यदि कोई **व्यक्ति बिना अधिवक्ता (Advocate) बने कानून का अभ्यास करता है, तो उसे:**
  - **एक वर्ष तक की कैद (पहले 6 महीने थे)।**
  - **₹2 लाख तक का जुर्माना।**

वकील अधिनियम, 1961 (Advocates Act, 1961):

परिचय:

वकील अधिनियम, 1961 को **विधि व्यवसायियों (Legal Practitioners)** से संबंधित कानून में संशोधन और समेकन के लिए लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य **बार काउंसिल (Bar Council)** और **अखिल भारतीय बार (All-India Bar)** की स्थापना करना है।

मुख्य बिंदु:

- यह अधिनियम **विधि व्यवसायियों अधिनियम, 1879** के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त करता है।
- हालांकि, इसने **परिभाषाएँ, क्षेत्राधिकार और दलालों (Touts) की सूची तैयार करने के अधिकार** से जुड़े कुछ प्रावधानों को बनाए रखा।

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"
SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL
ANKIT AVASTHI
Video will be upload soon !
ANKIT AVASTHI

RRB NTPC
TEST SERIES
100+ Mock Test
78 Sectional Test
40+ years PYPs
60+ Current affairs
TEST
Only
99
Per
Year
Buy Now

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

APNI PATHSHALA

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
299/- YEAR
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

RO/ARO
(TEST SERIES)
ONLY 299/- YEAR
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

BPSC
(TEST SERIES)
ONLY 299 YEAR
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

SSC (TEST SERIES)
ONLY 99/- YEAR
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

RPF (TEST SERIES)
ONLY 99/- YEAR
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

Download | Application
Apni Pathshala
7878158882

Apni.Pathshala | Avasthiankit
AnkitAvasthiSir | kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE
FOUNDATION BATCH
FOR ALL
POLITY
ECONOMICS
HISTORY
GEOGRAPHY
DAILY LIVE CLASSES
, WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTISE PROBLEM
Rs
4999/-
Apni Pathshala 7878158882
Apni.Pathshala kaankit AnkitAvasthiSir Avasthiankit

ONLY
POLITY
1499
RS
DAILY LIVE CLASSES
, WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTISE PROBLEM
Apni Pathshala 7878158882
Apni.Pathshala
kaankit
AnkitAvasthiSir
Avasthiankit

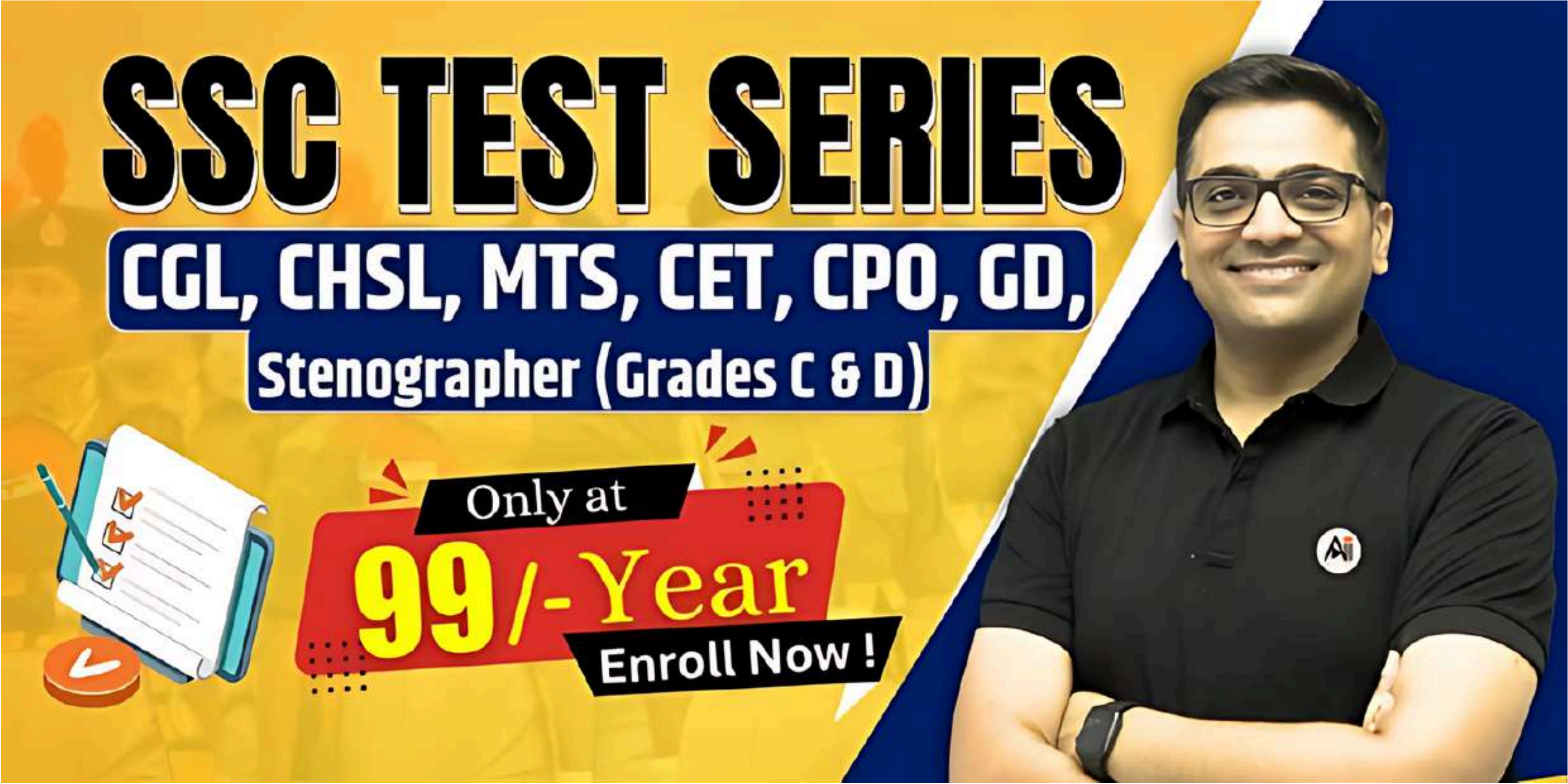
SSC TEST SERIES
CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,
Stenographer (Grades C & D)
Only at
99/-Year
Enroll Now !